

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/बी-2/टिकमाराम/5238/2020 दिनांक 25.02.2021

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
गडरा रोड, बाडमेर ।

विषय:—एस.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 449/2020 टिकमाराम बनाम राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5238/20) अन्तर्गत प्रार्थी को बकाया 3 माह के वेतन भुगतान की कार्यवाही बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एस.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 449/2020 टिकमाराम बनाम राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5238/20) अन्तर्गत प्रकरण दिनांक 22.01.2021 को सुनवाई हेतु लगा जिसमें प्रार्थी टिकमाराम ने पिछले तीन माह का वेतन नहीं मिलने के संबंध में अवगत कराया जिसको माननीय न्यायालय ने गम्भीरता से लिया है।

प्रकरण के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रार्थी श्री टीकमाराम (एसीबीईओ-II) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गडरा रोड बाडमेर को बकाया तीन माह का भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। उक्त वेतन आहरण की स्वीकृति एस.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 449/2020 टिकमाराम बनाम राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5238/20) में प्रदत्त आगामी/अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/बी-2/टिकमाराम/5238/2020

दिनांक 25.02.2021

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(विधि) जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अवमानना वाद में प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
3. अनुभाग अधिकारी(विधि अनुभाग)
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गडरा रोड, बाडमेर।
5. टीकमाराम, एसीबीईओ-II, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरा रोड बाडमेर।
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)